न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू
पीठासीन अधिकारी अर्पिता सोनी (आरएएस)

दावा संख्या 78/2017 उनवान

1.मदनलाल पुत्र चन्दालाल जाति खटीक निवासी रानोली तह0 पीपलू जिला टोंक
वादी

बनाम

1लक्ष्मण पुत्र छोटू जाति माली निवासी रानोली तह0 पीपलू
2.नर्बदा पुत्री छोटू जाति माली निवासी रानोली तह0 जिला टोंक

प्रतिवादीगण

अधिवक्ता वादी :– श्री राजाराम चौधरी
अधिवक्ता प्रतिवादीगण :– अनु0

निर्णय दिनांक :16.2.2018

दावा स्थायी निषेधाज्ञा

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि वकील प्रार्थी ने कथन किया कि भूमि आराजी ख0न0 320/5 रकबा 11 बिस्वा,ख0न0 418/1 रकबा 18 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 1 बीधा 09 बिस्वा वाके ग्राम रानोली तहसील पीपलू में स्थित है। जिसमें प्रार्थी ही खातेदार काश्तकार दर्ज रेकार्ड है । तथा अप्रार्थीगण 1 ता 2 का किसी प्रकार कोई सबंन्ध नही है प्रतिवादीगण बिना किसी अधिकार के प्रार्थी की उक्त खातेदारी भूमि को जबरन हडपने व प्रार्थी को भूमि में से बेदखल करने एवं मजाहमत करने एवं बिना किसी अधिकार के जबरन ताकत के बल पर प्रार्थी के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में हस्तक्षेप करने पर अमादा है। जिसका उनको कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नही है। इस कारण प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाना आवश्यक एंव न्याय संगत है। अतः अप्रार्थीगण को एवं अन्य रिस्तेदार जरिये एजेन्ट नोकर या अन्य किसी के माध्यम से कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में हस्तक्षेप नही करे हमेशा – हमेशा से पाबन्द फरमाया जावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्ट्रर की जाकर तलबी प्रतिवादीगण की गई प्रतिवादीगण न0 1 व 2 बाउजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही की गई ।

हमने बहस अभिभाषक वादी की सुनी। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज व अधिवक्ता के निवेदन करने पर प्रस्तुत पत्रावली के अवलोकन पर वादी की खातेदारी भूमि आराजी ख0न0 320/5 रकबा 11 बिस्वा,ख0न0 418/1 रकबा 18 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 1 बीधा 09 बिस्वा वाके ग्राम रानोली तहसील पीपलू में स्थित होना सिद्व होने से दावा इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि प्रतिवादीगण 1 व 2 एवं अन्य रिस्तेदार जरिये एजेन्ट नोकर या अन्य किसी के माध्यम से कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में हस्तक्षेप नही करे हमेशा – हमेशा से पाबन्द किया जाता है।

डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16.2.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

अर्पिता

(अर्पिता सोनी)
आरएएस
उपखण्ड अधिकारी पीपलू

डिक्री मुकददमा इब्तदाई
(ओ.20 रूल्स 6व 7 जाप्ता दीवानी)
अज अदालत उप खण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक
ब अलजास अर्पिता सोनी आर0ए0एस0

1.मदनलाल पुत्र चन्दालाल जाति खटीक निवासी रानोली तह0 पीपलू जिला टोंक
वादी

बनाम

1लक्ष्मण पुत्र छोटू जाति माली निवासी रानोली तह0 पीपलू
2.नर्बदा पुत्री छोटू जाति माली निवासी रानोली तह0 जिला टोंक
प्रतिवादीगण

मुकददमा न0 78/2017

यह मुकददमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू.. मुझ अर्पिता सोनी उप खण्ड अधिकारी पीपलू व हाजिरी राजाराम चौधरी मिनजानिब मुद्दई रूबरू. अनु0 बिमनजानिब मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता व डिगरी दी जाती है कि । वादी की खातेदारी भूमि आराजी ख0न0 320/5 रकबा 11 बिस्वा,ख0न0 418/1 रकबा 18 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 1 बीघा 09 बिस्वा वाके ग्राम रानोली तहसील पीपलू में स्थित होना सिद्व होने से दावा इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि प्रतिवादीगण 1 व 2 एवं अन्य रिस्तेदार जरिये एजेन्ट नोकर या अन्य किसी के माध्यम से कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में हस्तक्षेप नही करे हमेशा – हमेशा से पाबन्द किया जाता है। । निजी.................................. मबलिक.. बाबत..........................खर्चा इस मुकददमें का मय सूद वगैरह.........फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....को अदा करें ।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 16.2.2018 को जारी की गई ।

दस्तखत............... (हस्ताक्षर)
ओहदा...............

मोहर

मुददई	रूपये	पैसे	मददायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	00		स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प बकालतनामा			स्टाम्प बकालतनामा		
स्टाम्प बजह सबूत			स्टाम्प बजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नही दर्ज करना चाहिए ।